जिला–मधुबनी **दिनांक–21.04.2026**

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, झंझारपुर, मधुबनी
सत्र वाद संख्या : 169 / 2021
साधारण पंजी वाद संख्या–758 / 2019
फुलपरास थाना कांड सं0–171 / 2019

सरकार (द्वारा दुर्गा नंद साह पिता–स्व0 सर्व नारायण साह, सूचक)
साकिन–मुरली, थाना–फुलपरास, जिला–मधुबनी

..... अभियोजन

बनाम

01. सुनीता देवी पति–कारी साह (उम्र लगभग–60 वर्ष),
02. कारी साह पिता–स्व0 उपेन्द्र साह (उम्र लगभग–23 वर्ष),
साकिनान–खरगामा, थाना–फुलपरास, जिला–मधुबनी

..... अभियुक्तगण

अपराध की तिथि:–22.05.2019
प्राथमिकी की तिथि:–22.05.2019
आरोप पत्र की तिथि:–26.08.2019
संज्ञान की तिथि:–05.12.2019
दौरा सुपुदर्गी की तिथि:–22.03.2021
आरोप गठन की तिथि:–22.08.2022
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि:–23.11.2022
निर्णय पर नियत करने की तिथि:–21.04.2026
निर्णय की तिथि:–21.04.2026
सजा देने की तिथि, यदि कोई हो :–
अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री देवशंकर झा (सहायक लोक अभियोजक)
अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री राजीव कुमार झा

निर्णय तिथि–21.04.2026

उपस्थित : अनिल कुमार राम,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,तृतीय,
झंझारपुर, मधुबनी

नि र्ण य

01. प्रस्तुत थाना कांड के उपरोक्त नामजद अभियुक्तगण 01. सुनीता देवी एवं 02. कारी साह का भा0द0वि0 की धारा–304बी / 34, 302 / 34 के अंतर्गत विचारण किया गया है।

02. अभियोजन कहानी का अंतर्सार, सूचक दुर्गा नंद साह के फर्दबयान के आधार पर यह है कि सूचक अपनी लड़की देवकी की शादी कारी साह के पुत्र सिंगेसर साह के साथ कराये थे तथा उससे सूचक की लड़की को एक लड़का है। शादी के बाद सूचकी की लड़की को उसके सास सुनीता देवी, ससुर कारी साह, पति सिगेसर साह मारपीट एवं प्रताड़ित करता था तथा सूचक का दामाद ने सूचक के लड़का के शादी में सूचक की लड़की को मायके ले जाने के लिए दस हजार का मोबाईल एवं एल0सी0डी0 की मांग की और नही देने पर सूचक के घर नहीं लेकर गया तथा उसके बाद और सूचक की लड़की को प्रताड़ित करने लगा। दिनांक 21.05.2019 को सूचक के दामाद सिंगेशर साह सूचक की लड़की को मूसल से बूरी तरह से मारपीट कर जख्मी कर दिया। जिससे उसकी लड़की की हालत खराब हो गई। सुचना पर सूचक आकर अपनी लड़की को ईलाज हेतु फुलपरास लाये। ईलाज के बाद उसका ससुराल पहुंचा दिये। दिनांक 22.05.2019 को सुचना मिली की सूचक की लड़की की मृत्यु हो गई है। तब सूचक अपने ग्रामीण के साथ यहां आये जहां वह अपना बयान दे रहा है। सूचक का दावा है कि उसकी लड़की देवकी देवी

को उसका पति सिगेसर उसकी सास सुनीता देवी तथा ससुर कारी साह मिलकर प्रताड़ित किया और बूरी तरह से मारपीट किया जिससे उसकी लड़की की मृत्यु हुई।

03. सूचक के उक्त फर्दबयान के आधार पर थाना फुलपरास में भा0द0वि0 की धारा–304बी/34 के अंतर्गत थाना कांड संख्या–171/2019 दिनांकित–22.05.2019 पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी। विवेचनोंपरांत, विवेचक ने घटना को प्रथमदृष्टया सत्य पाते हुए नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–304बी/34 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या–174/2019 दिनांक 26.08.2019 को न्यायालय में समर्पित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपपत्रित अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में संज्ञान लिया गया।

04. अभियुक्तगण की उपस्थिति के पश्चात् एवं पुलिस कागजात की आपूर्ति के पश्चात् विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के आधार पर सत्र न्यायालय को विचारण हेतु दौरा सुपुर्द किया गया।

05. अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–304बी/34, 302/34 के अंतर्गत दिनांक–22.08.2022 को दंडनीय अपराध के लिए आरोप का गठन किया गया तथा उसकी विशिष्टयां अभियुक्तगण को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने दोषी होने का अभिवाक् नहीं किया तथा वाद विचारण का दावा किया।

06. निर्दोषिता तथा मिथ्या आरोप ही प्रतिरक्षा पक्ष का बचाव है। धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में अभियुक्तगण ने आरोपित आरोपों से इंकार किया है तथा अपने को निर्दोष बताया है।

07. अब इस वाद में विनिश्चय हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है ?

<u>मंतव्य</u>

08. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने आरोपों के समर्थन में कुल 04 मौखिक साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जो निम्नलिखित हैं :–

अभियोजन साक्षी सं0–01 दुर्गा नन्द साह,
अभियोजन साक्षी सं0–02 सुभाष चन्द्र यादव,
अभियोजन साक्षी सं0–03 बुधेशर साह,
अभियोजन साक्षी सं0–04 विद्यानंद साह,

उक्त साक्ष्य के अलावा अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फर्दबयान पर साक्षी सं0–01 सूचक दुर्गा नन्द साह के हस्ताक्षर को प्रदर्श–01 अंकित कराया गया है।

09. बचाव पक्ष द्वारा किसी भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. इस आपराधिक वाद में अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–304बी/34, 302/34 के अंतर्गत विरचित किया गया है। विरचित आरोप के बिन्दु पर इस तथाकथित घटना के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करें तो स्पष्ट होता है कि अभियोजन द्वारा साक्षी के रूप में 04 मौखिक साक्षीयों को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फर्दबयान पर साक्षी सं0–01 सूचक दुर्गा नन्द साह के हस्ताक्षर को प्रदर्श–01 अंकित कराया गया है।

11. फर्दबयान के अनुसार, सूचक अपनी लड़की देवकी की शादी कारी साह के पुत्र सिंगेसर साह के साथ कराये थे तथा उससे सूचक की लड़की को एक लड़का है। शादी के बाद सूचकी की लड़की को उसके सास सुनीता देवी, ससुर कारी साह, पति सिगेसर साह मारपीट एवं प्रताड़ित करता था तथा सूचक का दामाद ने सूचक के लड़का के शादी में सूचक की लड़की को मायके ले जाने के लिए दस हजार का मोबाईल एवं एल0सी0डी0 की मांग की और नही देने पर सूचक के घर नहीं लेकर गया तथा उसके बाद और सूचक की लड़की को प्रताड़ित करने लगा। दिनांक 21.05.2019 को सूचक के दामाद सिंगेशर साह सूचक की लड़की को मूसल से बूरी तरह से मारपीट कर जख्मी कर दिया। जिससे उसकी लड़की की हालत खराब हो गई। सुचना पर सूचक आकर अपनी लड़की को ईलाज हेतु फुलपरास लाये। ईलाज के बाद उसका ससुराल पहुंचा दिये। दिनांक 22.05.2019 को सुचना मिली की

सूचक की लड़की की मृत्यु हो गई है। तब सूचक अपने ग्रामीण के साथ यहां आये जहां वह अपना बयान दे रहा है। सूचक का दावा है कि उसकी लड़की देवकी देवी को उसका पति सिगेसर उसकी सास सुनीता देवी तथा ससुर कारी साह मिलकर प्रताड़ित किया और बूरी तरह से मारपीट किया जिससे उसकी लड़की की मृत्यु हुई।

12. उक्त बिन्दु पर अभियोजन द्वारा सूचक दुर्गा नन्द साह को अभियोजन साक्षी संख्या–01 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने मुख्यपरीक्षण में घटना का अंशतः समर्थन करते हुए प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि घटना का तारीख, महीना याद नहीं है। घटना के समय वह वहां नहीं था। उसे किसी ने घटना की जानकारी दी। मुदालहगण उसकी बेटी और दामाद से अलग घर में रहते है। मुदालह कारी साह और सुनीता देवी ने कभी भी दहेज की मांग नहीं किये थे और न ही उसकी बेटी के साथ झंगड़ा–झंझट करते थे। उसकी बेटी के दो बच्चा है जो मुदालहगण के साथ रहते है तथा मुदालहगण ही उसकी बेटी के बच्चे का भरण पोषण और पढ़ाई लिखाई करवाते है। मुदालहगण उसके संबंधी है इसलिए पहचानते है। मुदालगण के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रताड़ित नही किया गया है। इसके आलावा अभियोजन साक्षी संख्या–02, 03 एवं 04 को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा इन्होंने ऐसी कोई घटना घटित होने से इंकार करते हुए पक्षद्रोही हो गये हैं तथा अभियोजन द्वारा उनका प्रतिपरीक्षण किया गया है जिसमें भी उन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन को पर्याप्त समय, चेतावनी तथा न्यायालय द्वारा प्रक्रिया निर्गत करने के बाद भी अभियोजन द्वारा चिकित्सक, विवेचक सहित अन्य किसी महत्वपूर्ण साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है तथा परीक्षित साक्षीगण ने अपने–अपने साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है।

13. इस तरह अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी के मुख्य परीक्षण, प्रति परीक्षण एवं फर्दबयान में वर्णित तथ्यों में परस्पर भारी विरोधाभास है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–304बी/34, 302/34 के आवश्यक तत्वों की पूर्ति नहीं की गयी है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष, मुदालहगण के विरूद्ध आरोपित धाराओं को संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है तथा इसका लाभ बचावपक्ष को न्यायहित में दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

14. उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों एवं अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य एवं वाद की परिस्थितियों के विवेचनोंपरांत इस न्यायालय का यह अभिमत है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–304बी/34, 302/34 के आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा हैं।

आ दे श

15. अभियुक्तगण **01. सुनीता देवी** पति–कारी साह एवं **02. कारी साह** पिता–स्व0 उपेन्द्र साह साकिनान–खरगामा, थाना–फुलपरास, जिला–मधुबनी का भा0द0वि0 की धारा–304बी/34, 302/34 के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर रिहा किया जाता है तथा उनके जमानतदार अपने जमानत दायित्वों से मुक्त किये जाते हैं। कार्यालय, निर्णय की प्रति धारा 365 द0प्र0सं0 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी, मधुबनी को यथाशीघ्र प्रेषित करें तथा अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागारित करें।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हिन्दी में पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया गया।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत) **लेखापित**

(अनिल कुमार राम)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
झंझारपुर,मधुबनी
21.04.2026

(अनिल कुमार राम)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,तृतीय
झंझारपुर,मधुबनी
21.04.2026

पीठासीन पदाधिकारी–अनिल कुमार राम
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, झंझारपुर
निर्णय तिथी–21.04.2026
अपलोड की तिथि–21.04.2026
अपलोड के द्वारा– विक्रम कुमार